# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
## पीठासीन अधिकारी : डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 55/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/105

**प्रार्थी:–** राजाराम पुत्र गमनाराम जाति पटेल निवासी चेण्डा तहसील रोहट जिला पाली

**बनाम**

**अप्रार्थीगण :–**
1. नरसाराम पटेल पुत्र थानाराम जाति पटेल निवासी चेण्डा तहसील रोहट जिला पाली राज.
2. ग्राम पंचायत चेण्डा जरिये सरपंच तहसील रोहट जिला पाली

**"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"**

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्रसिंह राजपुरोहित।

**–: निर्णय :–**

दिनांक : 5.9.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 35/2006–07, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नरसाराम पटेल पुत्र थानाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6245 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 बावजूद नोटिस तामिल असालतन वकालतन न्यायालय में अनुपस्थित रहने से प्रार्थी अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थी ग्राम चेण्डा का स्थायी निवासी है, जहा पर प्रार्थी का पैतृक मालिकाना, आधिपत्यशुदा भुखण्ड आया हुआ है जिसका पट्टा प्रार्थी के पिता गमना पुत्र रूपाराम के पक्ष में ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा दिनांक 21.09.1965 को मिसल संख्या 01/1965 की पालना में जारी किया हुआ है, जिसके पडौस उत्तर दिशा में पुनमराम पुत्र चतराराम का पट्टाशुदा भुखण्ड, दक्षिण दिशा मे पडत थाला, पूर्व दिशा में गमना का बाडा तथा पश्चिम दिशा में 15 फुट आम रास्ता है। प्रार्थी अपने पिता के जीवन काल से ही उक्त आराजी का उपयोग उपयोग करता आ रहा है, प्रार्थी के पिता ने अपने जीवन काल में अपनी चल अचल सम्पति का मौखिक बंटवारा अपने चारो पुत्रों हिराराम, नेमाराम, रहिंगाराम एवं राजाराम कर दिया था, जिसमें जैर निगरानी भुखण्ड प्रार्थी के हक में आया हुआ है जिसका उपयोग उपभोग करता आ रहा है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 01 ने ग्राम पंचायत चेण्डा के तत्कालीन सरपंच के साथ मिलावट करते हुए पंचायत राज नियमों के विरूद्ध जाकर जैर निगरानी पटटा जारी करवा लिया जिसकी आड में अप्रार्थी संख्या 01 उक्त भुखण्ड पर कब्जा करने को आमदा है, उक्त आराजी का पुर्व में ग्राम पंचायत प्रार्थी के पिता के नाम से पटटा जारी कर चुकी है लेकिन फिर भी नियमों के विरूद्ध जाकर उसी आराजी का पुनः जैर निगरानी पटटा जारी कर दिया, जो पुर्व में जारी पट्टे

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

एवं जैर निगरानी पट्टे के पडौस का मिलान करने से से स्पष्ट होता है। जैर निगरानी पट्टा 157 के तहत जारी किया हुआ है, जैर भूखण्ड का पट्टा बनाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जिस पर ग्राम पंचायत ने 30–35 वर्षो का कब्जा मानते हुये नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया है। मौका निरीक्षण रिपोर्ट में भी यह अंकन नही है कि मौके पर मकान है अथवा भूखण्ड, इस बाबत कोई तथ्य अंकित नहीं है, न ही नियम 145(2) के तहत मौका निरीक्षण पेटे 25 रूपये जमा करवाये जाने की राशि जमा करवाने का अंकन है, समस्त आदेशिकाए एक ही पेन से एक ही दिन में लिखी गयी है। नियम 157 के तहत पुश्तैनी आवासीय मकानों का पट्टा जारी करने का प्रावधान है, न की भुखण्ड का पट्टा जारी करने का जबकि जैर निगरानी पटटा के संबध में लिये गये बयान से स्पष्ट है की जैर निगरानी पट्टा पर किसी प्रकार का मकान नही बना हुआ है केवल मात्र प्लाट ही है, जैर भूखण्ड का प्रार्थी के पिता के पक्ष में पट्टा जारी हो रखा है, जो आज भी अस्तित्व में है तो ग्राम पंचायत उक्त भूखण्ड पर दुसरा पट्टा कैसे जारी कर सकती है। मौके पर वर्तमान में केवल भूखण्ड है कोई मकान स्थित नहीं है फिर भी ग्राम पंचायत ने पुश्तैनी मकान मान कर नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। इसलिये ग्राम पंचायत द्वारा जारी जैर निगरानी पट्टे को निरस्त फरमावे।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 35/2006–07, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नरसाराम पटेल पुत्र थानाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6245 के विरूद्ध पेश की है। वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने मुख्य रूप से कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा पूर्व में जारी पट्टे पर ही जारी किया गया है। जैर निगरानी पट्टे में अंकित पडौस अनुसार पूर्व दिशा में गमना/रूपा, पश्चिम दिशा में रास्ता 15 फुट एवं दरवाजा, उत्तर दिशा में पूनम/चतरा तथा दक्षिण दिशा में धोरा स्थित है। पत्रावली के संलग्न एक अन्य पट्टा जो ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा दिनांक 30.05.1966 को पूनमराम पुत्र चतराराम के पक्ष में जारी किया गया है में अंकित पडौस अनुसार दक्षिण दिशा में गमना का वाडा है। जैर निगरानी पट्टे के उत्तर दिशा में पूनम/चतरा दर्ज है तथा उक्त पूनमराम को जारी पट्टे में दक्षिण दिशा में गमना का बाडा अंकित है। चूंकि पूनमराम को जारी पट्टे की दक्षिण दिशा में गमना का बाडा अंकित है जो यह ताईद करता है कि जैर निगरानी पट्टा, प्रार्थी के पिता के पक्ष में पूर्व से जारी पट्टे पर जारी किया गया है, जो अधिवक्ता प्रार्थी के कथनो का समर्थन करता है। साथ ही जब पूर्व में जारी पट्टा प्रभाव में है तो पश्चातवर्ती पट्टा Ab Initio Void होने से भी अपास्त योग्य है तथा न्यायिक दृष्टान्त 1998 DNJ 560 अुनसार – पंचायत ने प्रार्थी को 1963 में आबादी क्षेत्र में एक भूखण्ड आंवटित किया – पंचायत ने अप्रार्थी सं. 5 को भूखण्ड विक्रय किया और विक्रय की पुष्टि की – विधि अनुसार प्रार्थी का पट्टा निरस्त नहीं किया – पंचायत ने पट्टा निरस्त करने की अधिकारिता न होने से आधार पर आवंटन बहाल रखा – जब तक निरस्त न किया जाये आवंटन प्रभाव में रहता है – अप्रार्थी संख्या 5 के पश्चातवर्ती विक्रय बिना अधिकारिता के है, याचिका निरस्तारित की एवं न्यायिक दृष्टान्त 2010 (3) DNJ 1147, 2018 (1) DNJ 111 भी इसका समर्थन करते है।

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि अप्रार्थी संख्या 1 ने ग्राम पंचायत के समक्ष 30–35 वर्षो से रहवासी भूमि का विक्रय विलेख हासिल करने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसकी पालना में दिनांक 20.11.2006 को मिसल कायम की जाकर मनोनीत पंचो को मौका रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया परन्तु किन तीन पंचों को नियुक्त किया गया है, का नाम मिसल में अंकित नहीं है जबकि राजस्थान पंचायती राज नियम 146(2) के अन्तर्गत – सचिव, ऐसी सभी लम्बित फाइलों को स्थल–निरीक्षण के लिए तीन पंचों की कोई समिति प्रतिनियुक्त करने के लिए पंचायत की आगामी बैठक में रखेगा। साथ ही जैर निगरानी पट्टे के सम्बन्ध में जारी नक्शे पर आवेदनकर्ता के हस्ताक्षर ही नहीं है। राज. पंचायती राज. नियम 1996 के नियम 148(2) के अनुसार जारी आपत्ति ईश्तहार दो प्रतियों में तैयार किया जाकर उसकी एक प्रति विक्रय हेतु प्रस्तावित भूमि पर किसी सहजदृश्य स्थान पर लगायी जायेगी, दूसरी प्रति परिक्षेत्र के कम से कम दो प्रतिष्ठित व्यक्तियों के, उसे ऐसे लगाये जाने के प्रमाणस्वरूप हस्ताक्षर होने चाहिये जबकि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में दिनांक 20.12.2006 को जारी आपत्ति ईश्तहार पर डिस्पेच नम्बर अंकित नहीं है और न ही पंचायत की गोल मोहर अंकित है तथा आपत्ति ईश्तहार का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में भी नोटिस की पुश्त पर कोई जानकारी अंकित नहीं है। मिसल के संलग्न दोनो बयानकर्ता सवाराम एवं रिगांराम द्वारा दिये गये बयान साइक्लोस्टाईल में कलमबद्ध किये गये है, जो जैर निगरानी पट्टे की सत्यता पर प्रश्नचिह्न अंकित करता है।

साथ ही वक्त बहस अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय मौके पर केवल प्लॉट था जबकि ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा राज. पंचायती राज नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनयमितिकरण में जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में मिसल के संलग्न बयानकर्ता के बयान अनुसार "आवेदनकर्ता अपने स्वंय के कब्जासुदा प्लॉट का पट्टा बनवा रहा है।" जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय मौके पर कोई मकान नहीं था तथा अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त रेकर्ड में ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके कि जैर निगरानी भूखण्ड पर कोई मकान स्थित है। अर्थात् ग्राम पंचायत ने नियम विरूद्ध जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो विधिविरूद्ध होने से खारिज योग्य है एवं न्यायिक दृष्टान्त 2017(2) DNJ 730 - Presence of old house at the spot is necessary for granting patta under Section 157 of the Rajasthan Panchayati Raj Act. भी अधिवक्ता प्रार्थी के कथनों का समर्थन करते है। अतः यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में दी गई प्रक्रिया की अक्षरशः पालना नही कर अप्रार्थी संख्या 01 को नियम विरूद्ध पट्टा जारी किया है, जो विधि सम्मत नही होने से खारिज योग्य है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन से स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय राजस्थान पंचायती राज नियमों की विधिक प्रक्रिया की पालना नहीं कर विधिविरूद्ध तरीके से जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। साथ ही पत्रावली के संलग्न तीनों पट्टो के तुलनात्मक अध्ययन से भी यह जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत ने पूर्व से जारी

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner

पट्टे पर ही जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो न्यायसंगत नहीं है। इसलिये जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चेण्डा द्वारा मिसल संख्या 35/2006–07, प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 20.01.2007 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 नरसाराम पटेल पुत्र थानाराम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 6245 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलेक्टर
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 5/9/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अति. जिला कलेक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

Scanned with ACE Scanner